<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>खंडपीठ:</u>

<u>कोरम : माननीय श्री अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश एवं</u>

<u>माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश</u>

<u>रिट अपील सं.: 66/ 2010</u>

<u>अपीलकर्ता</u> : अंगद कुमार पाण्डेय एवं अन्य

<u>बनाम</u>

<u>उत्तरवादी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एवं

(संबद्ध रिट अपील क्रमांक 150/2011, 151/2011, 152/2011, 153/2011, 154/2011, 155/2011, 156/2011, 161/2011, 163/2011, 164/2011, 165/2011, 166/2011, 167/2011, 168/2011, 169/2011, 170/2011, 171/2011, 172/2011, 173/2011, 174/2011, 175/2011 एवं 200/2011)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>विचारार्थ निर्णय</u>

<u>हस्ताक्षरित/-</u>

<u>02/05/2012</u>

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव</u>

मैं सहमत हूँ।

विचारार्थ

<u>हस्ताक्षरित/-</u>

<u>मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव</u>

<u>न्यायाधीश</u>

निर्णय हेतु दिनांक नियत **: 03/05/2012**

हस्ताक्षरित/-

अभय मनोहर सप्रे

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ:

कोरम : माननीय श्री अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश एवं

माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट अपील क्रमांक 66/2010

अपीलकर्ता : अंगद कुमार पाण्डेय एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 150/2011

अपीलकर्ता : मुरली मनोहर दुबे

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 151/2011

अपीलकर्ता : भारत लाल देवांगन एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 152/2011

अपीलकर्ता : रामनाथ शर्मा एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 153/2011

अपीलकर्ता : पवन कुमार चंद्राकर एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 154/2011

अपीलकर्ता : गिरिश कुमार साहू एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 155/2011

अपीलकर्ता : शैलेश सिंह सोमवंशी

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 156/2011

अपीलकर्ता : तुलसी देवांगन

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 161/2011

अपीलकर्ता : दिलीप कुमार चौबे एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 163/2011

अपीलकर्ता : विमलेश कुमार साहू

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 164/2011

अपीलकर्ता : महेन्द्र दुबे

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 165/2011

अपीलकर्ता : मोहम्मद मुस्तकीम

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 166/2011

अपीलकर्ता : पद्मा देवांगन

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 167/2011

अपीलकर्ता : महेश कुमार

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 168/2011

अपीलकर्ता : लोकेश कुमार साहू एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 169/2011

अपीलकर्ता : रश्मि मिश्रा

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 170/2011

अपीलकर्ता : देवेश दत्त

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 171/2011

अपीलकर्ता : कृष्ण कुमार गजेन्द्र

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 172/2011

अपीलकर्ता : विजय लक्ष्मी साहू

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 173/2011

अपीलकर्ता : गोविंद राम साहू एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 174/2011

अपीलकर्ता : लखन लाल वर्मा

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 175/2011

अपीलकर्ता : ठनवर दास डेकर एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एवं

रिट अपील क्रमांक 200/2011

अपीलकर्ता : पुष्पेन्द्र सिन्हा एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

छत्तीसगढ़ अपील टू डिवीजन बेंच अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के अंतर्गत रिट अपील

उपस्तिथि : श्री प्रमोद वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री के.एस. पवार, श्री मतीन सिद्दीकी एवं श्री जितेन्द्र पाली — अपीलकर्ताओं की ओर से।

श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता — राज्य की ओर से

श्री वाई.एस. ठाकुर, अधिवक्ता — जनपद पंचायत, पोड़ी उपरोड़ा की ओर से।

श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता — व्यापम की ओर से।

आदेश

(03/05/2012)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति माननीय श्री अभय मनोहर सप्रे द्वारा प्रस्तुत किया गया.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. ये अपीलें डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 5408/2009, 6228/2009, 4628/2009, 4941/2009, 4939/2009, 438/2011, 6255/2009, 435/2011, 4632/2009, 4787/2010, 6258/2009, 4780/2010, 6704/2009, 436/2011, 3600/2010, 4781/2010, 437/2011, 3599/2010, 3598/2010, 4782/2010, 4783/2010, 4779/2010, 433/2011 में रिट याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंडपीठ में अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के अंतर्गत दायर की गई हैं, जो उपर्युक्त रिट याचिकाओं में एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17/11/2009, 28/02/2011 को पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. आक्षेपित आदेश द्वारा, माननीय एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया तथा परिणामस्वरूप उसकी रिट याचिका में किए गए किसी भी अनुतोष के दावे को प्रदान करने से इंकार कर दिया।

3. अतः, इस अपील में विचारार्थ जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या माननीय एकल न्यायाधीश (रिट न्यायालय) अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करने में न्यायोचित थे?

4. प्रकरण के तथ्य सीमित परिधि में हैं। तथापि, विवाद को समझने के लिए उनका संक्षेप में उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

5. जनवरी 2008 में, छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न जनपद पंचायतों, जैसे— पोण्डी, उपरोड़ा, पाली (कोरबा), मुंगेली (बिलासपुर), खरसिया (रायगढ़), गुरूर (दुर्ग), मैनपुर, बलौदा बाज़ार एवं अभनपुर (रायपुर), कुरूद (धमतरी), बसना (महासमुंद), भानुप्रतापपुर (कांकेर) तथा खैरागढ़ (राजनांदगांव) आदि ने शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया। कई व्यक्तियों ने आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें रिट याचिकाकर्ता (इन अपीलों के अपीलकर्ता) भी सम्मिलित थे। विज्ञापन के अनुसार, पंचायतों को उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित करना आवश्यक था। तदनुसार, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल 2008 माह में परीक्षाएँ आयोजित की गईं तथा परिणाम दिनांक 10.6.2008 को घोषित किए गए। तत्पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की गई और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को उनके-उनके स्थानों पर शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। जहाँ तक अपीलकर्ताओं (रिट याचिकाकर्ताओं) का संबंध है, उन्हें उनकी-उनकी मेरिट के अनुसार प्रतीक्षा सूची में रखा गया, ताकि यदि संबंधित समय पर प्रचलित नियमों में इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार अवसर उत्पन्न हो, तो उन्हें नियुक्ति प्रदान की जा सके।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. चूँकि अपीलकर्ताओं को, प्रतीक्षा सूची में रखे गए अभ्यर्थियों के रूप में, अपनी नियुक्ति के संबंध में संबंधित पंचायतों से कोई जवाबदावा प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वे अपेक्षा कर रहे थे, अतः उन्होंने राज्य प्राधिकारियों की इस निष्क्रियता से स्वयं को व्यथित अनुभव किया और इसके परिणामस्वरूप उन रिट याचिकाओं को दायर किया, जिनसे वर्तमान अपीलें उत्पन्न हुई हैं। इन रिट याचिकाओं में अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों के विरुद्ध परमादेश जारी किए जाने की प्रार्थना की, यह तर्क देते हुए कि उनकी प्रकरणों पर शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति हेतु, उनकी प्रतीक्षा सूची में स्थिति के अनुसार, उन पदों के विरुद्ध विचार किया जाए जो या तो रिक्त रह गए हों अथवा किसी भी कारण से रिक्त हो गए हों, जब

चयनित अभ्यर्थियों की सूची की श्रेणी में से अभ्यर्थियों को नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति दी जा रही हो।

7. अपीलकर्ताओं ने यह अनुतोष दावा करते हुए विज्ञापन की धारा 4.24 को छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, (संक्षेप में आगे "नियम" कहा गया है) के नियम 7(xi) के साथ पढ़ते हुए उस पर अव्लंभ लिया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह प्रावधान किया गया था कि सम्पूर्ण चयन सूची प्रतीक्षा सूची सहित परीक्षा परिणाम की घोषणा के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी तथा इस अवधि में स्वीकृत कोई नया पद अथवा यदि कोई पद रिक्त हो जाए, तो उसे प्रतीक्षा सूची में रखे गए अभ्यर्थियों को प्रस्ताव देकर भरा जाएगा। अपीलकर्ताओं के अनुसार, चूँकि चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता तथा चयन/प्रतीक्षा सूची के अनुसार नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया को राज्य द्वारा दिनांक 30.5.2009 को जारी एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से दिनांक 30.8.2009 तक बढ़ा दिया गया था, अतः राज्य का यह दायित्व था कि वह विस्तारित अवधि अर्थात् 30.8.2009 को या उससे पूर्व प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करता। यह भी कहा गया कि कुछ जनपदों ने कुछ प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी, किन्तु अपीलकर्ताओं को कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया और इसी कारण वे परमादेश जारी किए जाने हेतु रिट याचिकाएँ दायर करने के लिए विवश हुए, जिनसे वर्तमान अपीलें उत्पन्न हुई हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. राज्य तथा जनपद पंचायतों ने अपने-अपने जवाबदावा प्रस्तुत किए। उनके अनुसार, चयन सूची/प्रतीक्षा सूची की वैधता अथवा कहें कि चयन सूची/प्रतीक्षा सूची का जीवन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए था, अर्थात् दिनांक 10.6.2009 तक, जैसा कि विज्ञापन की धारा 4.24 को नियमों के नियम 7(xi) के साथ पढ़ने पर प्रावधानित है (परीक्षाएँ दिनांक 10.6.2008 को आयोजित की गई थीं)। यह इंगित किया गया कि यद्यपि दिनांक 30.5.2009 के कार्यकारी आदेश द्वारा दोनों सूचियों की वैधता दिनांक 30.8.2009 तक बढ़ा दी गई थी, किन्तु बाद में यह अनुभव किया गया कि ऐसा विस्तार राज्य द्वारा केवल नियम 7(xi) में संशोधन करके ही प्रदान किया जा सकता था, न कि दिनांक 31.5.2009 जैसे किसी कार्यकारी/प्रशासनिक आदेश के निर्गमन द्वारा; और

इसलिए इस परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य ने दिनांक 25.6.2009 को एक अधिसूचना जारी कर नियम 7(xi) में उपयुक्त संशोधन किया। संशोधन के अनुसार "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तेरह माह" शब्द प्रतिस्थापित किए गए। आगे यह भी इंगित किया गया कि एक वर्ष की अवधि के दौरान राज्य में त्वरित उत्तराधिकार में दो चुनाव (संसदीय एवं विधानसभा) आयोजित हुए, जिसके कारण आदर्श आचार संहिता लागू रही, जिससे राज्य/प्राधिकारियों को सूची को लागू करने से रोका गया, और इस मध्य एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने से प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों, जिनमें अपीलकर्ता भी सम्मिलित हैं, को चयन सूची/प्रतीक्षा सूची का कोई लाभ नहीं दिया जा सका। यह भी इंगित किया गया कि पिछले पाँच वर्षों में शिक्षा कर्मी के पदों को भरने हेतु प्रत्येक वर्ष नई परीक्षाएँ आयोजित कर क्रमशः कई विज्ञापन जारी किए गए और अनेक व्यक्तियों को शिक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया। अपीलकर्ता भी ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र थे और यदि उन्होंने पुनः इन क्रमिक परीक्षाओं में भाग लिया होता तो संभव है कि अपने पिछले वर्ष के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करने पर उनका चयन हो सकता था। अतः यह प्रतिपादित किया गया कि इन परिस्थितियों में वर्ष 2008 की प्रतीक्षा सूची को आगामी वर्षों के लिए प्रभावी नहीं किया जा सकता था और न ही वर्ष 2008 की सीटें इन अपीलकर्ताओं को प्रदान की जा सकती हैं, क्योंकि ये सीटें समय के प्रवाह से समाप्त हो गई थीं, जैसा कि नियम 7(xi) को विज्ञापन की खण्ड 4.24 के साथ पढ़ने पर एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रावधानित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. विद्वान् एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को अपास्त कर दिया। उन्होंने यह निर्णय दिया कि चयन सूची/प्रतीक्षा सूची की वैधता (अथवा कहें कि उसका जीवनकाल) परिणाम घोषित होने की तिथि से केवल एक वर्ष तक, अर्थात् दिनांक 10.6.2009 तक ही थी तथा एक वर्ष की अवधि समय के प्रवाह से समाप्त हो जाने के पश्चात्, प्रतीक्षा सूची श्रेणी के किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने हेतु उसका कोई उपयोग नहीं रह गया था। यह भी निर्णय दिया गया कि दिनांक 31.5.2009 को जारी किए गए किसी प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश, जिसके द्वारा सूची को लागू करने की अवधि बढ़ाई गई थी, का कोई लाभ अपीलकर्ताओं को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्षेत्र में लागू सांविधिक नियम प्रभावी था, जिसका ऐसे कार्यकारी आदेश पर प्रधानता थी। यह भी निर्णय दिया गया

कि संशोधित नियम 7(xi), जिसके द्वारा अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तेरह माह किया गया था, का भी लाभ अपीलकर्ताओं को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उक्त संशोधन दिनांक 25.6.2009 को किया गया था, जबकि अपीलकर्ताओं के प्रकरण में एक वर्ष की अवधि दिनांक 10.6.2009 को ही समाप्त हो चुकी थी। यह भी निर्णय दिया गया कि अपीलकर्ता, यदि किसी जनपद पंचायत द्वारा एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी कुछ नियुक्तियाँ की गई हों, तो भी उनका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी नियुक्तियाँ स्पष्टतः नियम 7(xi) की आवश्यकताओं के उल्लंघन में की गई थीं। माननीय एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश के विरुद्ध ही रिट याचिकाकर्ताओं ने स्वयं को व्यथित महसूस किया और वर्तमान अंतः-न्यायालय अपीलें प्रस्तुत कीं।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की वैधता एवं शुद्धता को चुनौती देते हुए सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया कि जब राज्य शासन ने दिनांक 31.5.2009 के आदेश द्वारा एक वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 30.8.2009 तक विस्तारित कर दिया था, तब राज्य शासन/जनपद पंचायतों का यह कर्तव्य था कि वे नियत तिथि से पूर्व प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों को भरकर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। उनका दूसरा तर्क यह था कि किसी भी स्थिति में, जब नियमों में संशोधन कर दिनांक 25.6.2009 को एक वर्ष के स्थान पर तेरह माह की अवधि निर्धारित कर दी गई, तब भी उसका लाभ अपीलकर्ताओं को प्रदान किया जाना चाहिए था तथा सृजित अथवा रिक्त हुए पदों के विरुद्ध उन्हें नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी। उनका तीसरा तर्क यह था कि जब कुछ पंचायतों द्वारा प्रतीक्षा सूची श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई, तब उसी श्रेणी के अभ्यर्थी होने के कारण अपीलकर्ताओं को भी वही लाभ प्रदान किया जाना चाहिए था और उनसे यह लाभ से हटकर नहीं किया जा सकता था। उनका चौथा तर्क यह था कि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति का एक वैध अधिकार प्राप्त होता है तथा जब तक कोई ठोस एवं पर्याप्त कारण न हों, उन्हें इस अनुतोष से वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं था। उनकी पाँचवीं एवं अंतिम दलील यह थी कि नियम 7(xi) का साधारण एवं समुचित पाठ यह दर्शाता है कि वास्तव में किसी भी प्रतीक्षा सूची के क्रियान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित ही नहीं की गई है। अपने-अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान् अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर अव्लंभ लिया है की: **शंकरसन दास**

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बनाम भारत संघ [(1991) 3 SCC 47] आशा कौल (श्रीमती) एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य [(1993) 2 SCC 573] गुजरात राज्य उप कार्यपालक अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य [1994 Supp. (2) SCC 591] आर.एस. मित्तल बनाम भारत संघ [1995 Supp. (2) SCC 230] वीरेंद्र एस. हुड्डा एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य [(1999) 3 SCC 696] भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य बनाम भानु लोध एवं अन्य [(2005) 3 SCC 618] निदेशक, एस.सी.टी.आई. फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं अन्य बनाम एम. पुष्करन [(2008) 1 SCC 448] बी.एस.एन.एल. एवं अन्य बनाम अभिषेक शुक्ला एवं अन्य [(2009) 5 SCC 368] नसीम अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2010 SCW 133].

11. इसके जवाबदावा में, प्रतिवादियों अर्थात् राज्य शासन एवं संबंधित जनपद पंचायतों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क एवं निष्कर्षों का समर्थन किया। उनके अनुसार, अपीलकर्ता ऐसा कोई मामला स्थापित करने में असफल रहे हैं जिससे आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न हो। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर अव्लंभ लिया: **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अमरेन्द्र कुमार मिश्रा [JT 2006 (12) SC 304] एवं ओडिशा राज्य एवं अन्य बनाम राजकिशोर नंदा एवं अन्य [JT 2010 (6) SC 33]**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उदरत विवाधक के विवेचन करने के क्रम में, हेतु विज्ञापन की खण्ड 4.24 तथा नियम 7(xi) का उल्लेख आवश्यक है, जो संदर्भ के लिए उल्लेख किये जाने की आवश्यकता हैं:

> **4.24** "संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक वैध होगी तथा इस अवधि में स्वीकृत होने वाले नवीन पदों अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।"
>
> **नियम 6 7(xi)** – "परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक संपूर्ण चयन सूची, प्रतीक्षा सूची सहित, वैध रहेगी तथा इस अवधि के दौरान

स्वीकृत होने वाले नवीन पदों अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को इस प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।"

13. नियम 7(xi) का साधारण पाठ करने से यह स्पष्ट होता है कि दोनों सूचियों, अर्थात् चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि एक वर्ष है तथा यह एक वर्ष की अवधि परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से गणना की जाएगी। नियम यह भी उपबंध करता है कि यदि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी कारण से कोई नया पद स्वीकृत किया जाता है अथवा कोई विद्यमान पद रिक्त होता है, तो ऐसे पदों को प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से उनके आपसी मेरिट क्रम के अनुसार भरा जाएगा।

14. पहले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वर्मा की तर्क पर आते है, तो उनका यह तर्क था कि नियम 7(xi) का साधारण पाठ यह दर्शाता है कि नियम 7 में निर्धारित एक वर्ष की वैधता अवधि प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होती। श्री वर्मा के अनुसार, नियम का आशय यह है कि यदि कोई पद एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात उपलब्ध होता है, तो केवल ऐसे पद ही प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को प्रदान नहीं किए जा सकते; अन्यथा, परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान जो भी पद रिक्त होते हैं अथवा राज्य द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वे सभी पद समय-सीमा की परवाह किए बिना प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से ही भरे जाने चाहिए। दुसरे शब्दों में, उनका यह अभिप्राय था कि विधायिका द्वारा नियम 7(xi) में समाप्त होना शब्द के स्थान पर वैधता शब्द का प्रयोग किया जाना तथा नियम में और शब्द का प्रयोग किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संबंधित नियम का उद्देश्य एक वर्ष की अवधि के पश्चात प्रतीक्षा सूची के प्रभाव को समाप्त करना नहीं था, बल्कि यह सूची तब तक वैध बनी रहती है जब तक कि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की श्रेणी से सभी ऐसे पद भरे न जा लें। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं।

15. हमारे सुविचारित मत में, नियम का साधारण पाठ केवल एक ही व्याख्या की ओर संकेत करता है, और वह वही है जिसे हमने उपर्युक्त किया है। यदि हम श्री वर्मा द्वारा प्रस्तावित व्याख्या को स्वीकार कर लें, अर्थात् यह कि नियम 7(xi) में निर्धारित एक वर्ष की अवधि से प्रतीक्षा सूची नियंत्रित नहीं होती, तो इससे दोनों सूचियों के क्रियान्वयन के समय अनेक अव्यावहारिक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं—एक सूची को एक वर्ष की अवधि के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भीतर लागू किया जाए और दूसरी सूची को बिना किसी समय-सीमा के। नियम की साधारण व्याख्या करते समय ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति से सदैव बचा जाना चाहिए।

16. वास्तव में, इस प्रश्न पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उड़ीसा मंत्रीस्तरीय सेवा (जिला कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति) नियमों के नियम 12 की व्याख्या करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 (6) SC 33, ओडिशा राज्य बनाम राजकिशोर नंदा के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि ऐसी सूची का जीवनकाल उसके प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही वैध रहता है तथा एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे प्रभावी नहीं किया जा सकता।

17. यद्यपि श्री वर्मा ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि नियम 7(xi) की भाषा उड़ीसा नियमों के नियम 12 के समान नहीं है, जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, तथा यह भी कि प्रत्येक नियम की व्याख्या उसकी स्वयं की शब्दावली के अनुसार की जानी चाहिए, तथापि, आदर सहित हम इस प्रकरण के तथ्यों में उनके इस तर्क से सहमत नहीं हैं। हमारे मत में, जब दोनों नियमों का उद्देश्य, अभिप्राय तथा मूल तत्व समान है, तब ऐसे नियम की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ वर्तमान में विचाराधीन नियम पर भी समान रूप से लागू होंगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि दोनों सूचियों की वैधता अथवा जीवन-काल एक वर्ष का है, तब ऐसी सूचियों के क्रियान्वयन से संबंधित समस्त औपचारिक कार्यवाहियाँ, अर्थात् नियम 7(xi) में उपबंधित रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया, एक वर्ष की अवधि के भीतर ही पूर्ण की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाती है, तो एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उक्त सूची स्वतः निष्प्रभावी हो जाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर यह प्रतीक्षा-सूची के अभ्यर्थियों के लिए कठिनाई का कारण बन सकती है, किंतु जब तक संबंधित नियम प्रभावी क्षेत्र में लागू है तथा उसे अधिकारिता घोषित नहीं किया गया है, तब तक ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना अथवा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना न्यायालय का कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह उपयुक्त उपचारात्मक कदम क्या उठाए, जिससे कुछ अभ्यर्थियों को हुई कठिनाई का निराकरण किया जा सके। जहाँ तक न्यायालयों का संबंध है, उनका दायित्व केवल यह है कि वे नियम की वर्तमान स्थिति में उसकी स्पष्ट भाषा को ध्यान मैं रखते हुए व्याख्या करें तथा उसी के आलोक में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करें।

19. हमें अपीलकर्ताओं के विद्वान् अधिवक्ता की इस अन्य दलील से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसमें यह तर्क दिया गया कि चूँकि कुछ जनपद पंचायतों द्वारा प्रतीक्षा-सूची श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात नियुक्ति देकर समायोजित कर लिया गया है, तो फिर अपीलकर्ताओं को क्यों नहीं, जो उनके समान स्थिति में हैं । मूलतः इस तर्क के समर्थन में अनुच्छेद 14 का सहारा लिया गया और नियुक्ति का दावा किया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस दलील को रिट न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और हमारे मत में यह सही रूप से किया गया। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 14 का प्रयोग किसी ऐसे कार्य के समर्थन में नहीं किया जा सकता जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, अथवा जो राज्य अथवा उसके प्राधिकारियों द्वारा गलत, अवैध या नियमों के प्रतिकूल किया गया हो। दूसरे शब्दों में, नकारात्मक समानता को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि कोई नियुक्तियाँ (भले ही वे की गई हों) नियमों के विरुद्ध की गई हैं, तो समान स्थिति वाले अन्य व्यक्ति केवल इस आधार पर समानता का दावा नहीं कर सकते कि उन्हें भी वही लाभ दिया जाए, और वे अनुच्छेद 14 में निहित सिद्धांत का सहारा लेकर अपने लिए ऐसा लाभ प्राप्त करें। ऐसी दलीलों को स्वीकार करना वस्तुतः उस अवैधता को बनाए रखने के समान होगा, जिसे विधि के अनुसार उपचारात्मक उपाय अपनाकर रोका जाना और अपास्त किया जाना आवश्यक है, विशेषकर उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने विधि अनुसार ऐसे लाभ प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, हम यह भी पाते हैं कि अपीलकर्ताओं ने अपनी रिट याचिकाओं में यह विवरण तक नहीं दिया कि वे कौन-से अभ्यर्थी थे जिन्हें नियुक्त किया गया, उन्हें कब नियुक्त किया गया आदि। ऐसे विवरणों के अभाव में, तथा उन अभ्यर्थियों को रिट याचिका में पक्षकार न बनाए जाने के कारण, इस न्यायालय के लिए इस विषय में और अधिक जांच करना कठिन है, सिवाय इसके कि इस दलील को निराधार, तथ्यहीन तथा सारहीन मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाए। इन सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में, हम इस दलील को अस्वीकार करते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. अपीलकर्ताओं के विद्वान् अधिवक्ता की यह एक अन्य दलील कि अपीलकर्ता संशोधित नियम 7(xi) का लाभ पाने के हकदार थे, जिसके द्वारा सूचियों के क्रियान्वयन की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तेरह माह कर दी गई थी, भी निराधार है। इसका कारण यह है कि उक्त संशोधन सांविधि-पुस्तक में भावी प्रभाव से, अर्थात् 25.06.2009 से लागू किया गया था। दूसरे शब्दों में, इस प्रकरण में सूचियों के क्रियान्वयन की एक वर्ष की अवधि

10.06.2009 को समाप्त हो गई थी, जबकि संशोधन 25.06.2009 को अधिसूचित किया गया। इन परिस्थितियों में, 10.06.2009 के पश्चात अपीलकर्ताओं का किसी भी प्रकार का कोई विद्यमान अधिकार शेष नहीं था, क्योंकि दोनों सूचियों का जीवन-काल 10.06.2009 को समाप्त हो चुका था। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं के पास प्रकरण में जो भी अधिकार रहे होंगे, वे समय की समाप्ति के कारण 10.06.2009 को समाप्त हो गए। हमारे मत में, ऐसे अधिकार बाद में नियम में किए गए संशोधन के माध्यम से पुनर्जीवित नहीं किए जा सकते। अतः, इन परिस्थितियों में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संशोधित नियम 7(xi) का कोई लाभ अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं था। इस कारण, हम इस दलील को भी अस्वीकार करते हैं।

21. तथापि, हम राज्य द्वारा अपनाए गए रुख में बल पाते हैं, जब यह प्रतिपादित किया गया कि तत्समय राज्य में प्रचलित वैध एवं पर्याप्त कारणों के चलते संबंधित प्रतीक्षा सूची को निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। यह तथ्य विवादित नहीं है कि प्रश्नगत अवधि के दौरान राज्य में क्रमशः दो चुनाव आयोजित किए गए थे और उनके निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य ने अपने विवेक से यह उचित समझा कि प्रतीक्षा सूची को प्रभावी न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उस अवधि में लागू आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। अतः यह तथ्य कि सूची को लागू न करने के पीछे कारण विद्यमान थे, विवादित नहीं किया जा सकता। यधपि अपीलकर्ताओं ने अपनी रिट याचिकाओं में इन कारणों की पर्याप्तता को चुनौती नहीं दी है और इस कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह ऐसा प्रकरण नहीं था जहाँ राज्य ने बिना किसी कारण के पूरे एक वर्ष तक मौन साधे रखा हो अथवा कुछ भी न किया हो, जिससे राज्य की कार्रवाई को पूर्णतः मनमाना एवं अतार्किक घोषित किया जा सके।

22. अपीलकर्ताओं के विद्वान् अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में कई निर्णयों का उल्लेख किया, यथा **शंकरसन दास बनाम भारत संघ [(1991) 3 SCC 47], आशा कौल (श्रीमती) एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य [(1993) 2 SCC 573],**
गुजरात राज्य उप कार्यपालक अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य [1994 Supp. (2) SCC 591], आर.एस. मित्तल बनाम भारत संघ [1995 Supp. (2)

High Court of Chhattisgarh Bilaspur

SCC 230], वीरेंद्र एस. हुड्डा एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य [(1999) 3 SCC 696], भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य बनाम भानु लोध एवं अन्य [(2005) 3 SCC 618], निदेशक, एस.सी.टी.आई. फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं अन्य बनाम एम. पुष्करन [(2008) 1 SCC 448], बी.एस.एन.एल. एवं अन्य बनाम अभिषेक शुक्ला एवं अन्य [(2009) 5 SCC 368] तथा नसीम अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2010 SCW 133]।

23. हमने प्रत्येक निर्णय के मूल सिद्धांत का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है, इस उद्देश्य से कि यह देखा जा सके कि वे इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू होते हैं। उनका अवलोकन करने के पश्चात् हम यह पाते हैं कि उनमें प्रतिपादित विधि सिद्धांत, जिन पर किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता, अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किये गये गई किसी भी अनुतोष को प्रदान करने हेतु इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते। हमारे मत में, प्रत्येक निर्णय अपने-अपने विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है और इस कारण वर्तमान प्रकरण में अनुप्रयोज्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः, हम प्रत्येक मामले के भिन्नतापूर्ण तथ्यों का पृथक-पृथक उल्लेख कर अपने आदेश को अनावश्यक रूप से विस्तृत करना उचित नहीं समझते।

24. निष्कर्षतः, हमें इन अपीलों में कोई दम नहीं दिखाई देता। परिणामस्वरूप, ये अपीलें असफल होती हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। कोई वाद व्यय नहीं I

सही/-	**सही/-**
अभय मनोहर सप्रे	**मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव,**
मुख्य न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं

किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur